Azadi Ka Amrit Mahotsav

भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा – 324002 (राजस्थान)

वेबसाईट हेतु विस्तृत विवरण
सील बन्द लिफाफे द्वारा नीलामी की शर्ते

इस केन्द्र के प्रक्षेत्र के 208 वृक्षों में लगे आंवला फलो की जैसी है जंहा है के आधार पर नीलामी (सील बंद लिफाफे के द्वारा)की जानी है। इस नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. नीलामी का कार्य केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा द्वारा मनोनीत समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेगे । उनका अधिकार होगा कि यदि बोली बोलने वालो की सील बंद लिफाफो की संख्या 03 से कम होगी तो नीलामी की तिथि को आगे बढाते हुए अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी । इस नीलामी की अवधि 60 दिन की होगी ।
2. नीलामी का प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने वाले को सर्वप्रथम रू. 10,000/– अमानत राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफट जो कि OIC,CSWCRTI, KOTA, भारतीय स्टेट बैंक में देय निविदा के साथ जमा कराना होगा। इसके पश्चात् ही उनके प्रस्ताव को नीलामी में शामिल किया जायेगा। लिफाफो को खोलने एवं अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम बोली दाता को कुल राशि का आधा भाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। पैसा जमा नही करवाने पर बोली को निरस्त करते हुए अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा ।
3. एक अमानत राशि के लिये डिमांड ड्राफट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
4. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी।
5. असफल बोलीदाता को ई.एम.डी/अमानत राशि का डिमान्ड ड्राफट वापस कर दिया जायेगा।
6. सफल बोलीदाता को 15 दिन पश्चात् कार्यालय में शेष राशि को जमा करवाना होगा। अमानत राशि को नीलामी राशि में समायोजित कर लिया जायेगा ।
7. कार्यालय द्वारा अनुमति आदेश जारी होने के पश्चात् ही आंवला फलो को तोडकर ले जाने की अनुमति होगी। यह समयावधि माह फरवरी, 2022 तक मान्य होगी ।
8. आंवला वृक्षो के फलो को कार्यालय समयावधि में ही सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी की देख रेख में ले जाना होगा। आंवला के बगीचे में सिंचाई एवं सफाई करने का जिम्मा ठेकेदार का होगा। हांलाकि पानी केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। परन्तु किसी तकनीकी खराबी के कारण पानी उपलब्ध करवाने में हुई देरी के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
9. चौकीदारी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी । उद्यान एवं केन्द्र परिसर में किसी तरह का नुकसान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा पहुंचाने पर स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा । किसी भी अनहोनी घटना के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
10. पौध संरक्षण एवं अन्य जरूरी शस्य कियाएं केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मान दण्डो के अनुसार ही की जावेगी। इसके लिये ठेकेदार द्वारा बताए कार्यो के प्रति केन्द्र बाध्य नही होगा।
11. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर केन्द्राध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा । केन्द्राध्यक्ष को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण नीलामी प्रकिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रदद् करने का संपूर्ण अधिकार है।
12. सफल बोलीदाता (सील बंद लिफाफे के द्वारा) के पास जी. एस.टी /,पैन नम्बर/आधार कार्ड, बैक का खाता संख्या की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है (छाया प्रति संलग्न करें) ।
13. पूर्व में किसी भी सरकारी कार्यालय में बोली लगाने वाले ठेकेदार ही इस केन्द्र पर बोली लगा सकेगें ।

14. निविदा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी संस्थान की वेबसाईट : www.cswcrtiweb.org व CPP Portal https://eprocure. gov.in.eprocure/app पर से प्राप्त की जा सकती है।

15. पौध संरक्षण एवं अन्य जरूरी शस्य कियाएं केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मान दण्डो के अनुसार ही की जावेगी। इसके लिये ठेकेदार द्वारा बताए कार्यो के प्रति केन्द्र बाध्य नही होगा।

16. उपरोक्त निविदा की कुल अवधि 5 माह की है।

17. अन्य शर्ते मौके पर सुना दी जायेगी ।

18. इस निविदा की अवधि 60 दिन की रहेगी ।

केन्द्राध्यक्ष

भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा – 324002 (राजस्थान)

कमांकः–1(45)/SOFP-02/2021-22 /S&P/

दिनाक 6.10.2021

:: मुहर बन्द निविदा ::

इच्छुक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, डडवाडा, कोटा जं. कोटा के अनुसंधान फार्म में दिनाक 27.10.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रक्षेत्र क्षेत्र में स्थित 208 आंवले के वृक्षो मे लगे हुए फलो की नीलामी बोली सील बन्द लिफाफे के द्वारा प्राप्त राशि के अनुसार [illegible] सील बन्द लिफाफे इसी तिथि को सांय 4.00 बजे खोले जायेगें। सभी आंवला वृक्षो के फलो की नीलामी एक मुश्त की जावेगी। जिसके लिये रू. 10,000/–अमानत राशि का डिमान्ट ड्राफट OIC,CSWCRTI, Kota के नाम से भारतीय स्टेट बैंक में देय हो निविदा के साथ जमा कराना होगा। फलो को वृक्षो से तोडकर ले जाने की समयावधि माह फरवरी, 2022 तक होगी। अन्य शर्ते निविदा खुलने वाले दिन समय पर सुनाई जावेगी। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी वेबसाईट :www.cswcrtiweb.org व CPP Portal https://eprocure.gov.in. eprocure/app पर से प्राप्त की जा सकती है ।

फल वृक्षो का नाम	वृक्षो की संख्या
आंवला	208

केन्द्राध्यक्ष